# कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Website : https://mymmc.org., E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com, Control Room - 0621-2212647

**पत्रांक–**......647...... **दिनांक–**....11.../....10..../2022

*प्रेषक,*

**आशुतोष द्विवेदी,** *भा०प्र०से०,*

प्रशासक,

मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

*सेवा में,*

**01. श्रीमती सुनिता सिंहा पति–बिरेन्द्र मोहन सिंहा,**
**02. श्रीमती कामिनी सिंहा पति–नरेन्द्र मोहन सिंहा,**
**03. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंहा पिता–स्व० सरस्वती प्रसाद**

ग्राम + मुहल्ला – कन्हौली बिशुन्दत्त,

वार्ड सं0–38, थाना – मिठनपुरा,

मुजफ्फरपुर।

विषय :– **प्लान केश संख्या–...38 – 05 /.......2022 G+4 आवा.. भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा, मुहल्ला– कन्हौली बिशुन्दत्त, वार्ड सं0–38, खाता–67, खेसरा–**413(क), (ख)** बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007, बिहार भवन उपविधि 2014 के 315, 316, 317, 414 एवं 419 के अंतर्गत निम्न शर्त्त पर स्वीकृति दी जाती है :–

1. बिहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलापूर्त्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायलॉज के तहत किया जाएगा।
4. निगम में समर्पित भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बड़ी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा के समय–समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत नक्शे का एक प्रति कार्य स्थल पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय–समय उप उसका जांच किया जा सके।

**KUMAR CONSTRUCTION AND DEVELOPERS**
Sanjay Kumar
Partner

9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कार्य में बिहार भवन उपविधि 2014 के उल्लंघन पर सरकारी दण्ड के भागी भवन स्वामी होगा।

इस शर्त्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता है, यह स्वीकृति अगले तीन वर्ष के लिये वैद्य होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

(आशुतोष द्विवेदी)
प्रशासक,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

13/9/22

KUMAR CONSTRUCTION AND DEVELOPERS
Sanjay Kumar
Partner